

हरियाणा विधान सभा

2026 का विधेयक संख्या 23-एच०एल०ए०

हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2026
मार्च, 2027 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त
वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित
निधि में से किन्हीं और कतिपय राशियों के भुगतान और
विनियोग का प्राधिकार देने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची के खाना 11 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक ऐसी वित्त वर्ष 2026-27
राशियाँ, जो कुल मिलाकर ₹7136,63,25,000 /- (केवल सात हजार एक सौ छत्तीस करोड़, के लिए हरियाणा
तिरसठ लाख, पच्चीस हजार रूपए) होती हैं, ऐसे विभिन्न खर्चों को चुकाने के लिए, जो उक्त राज्य की संचित
अनुसूची के खाना 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के बारे में, मार्च, 2027 के इकतीसवें दिन को समाप्त निधि में से
होने वाले वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान भुगतान के सिलसिले में होंगे, हरियाणा राज्य की ₹7136,63,25,000 /-
संचित निधि में से भुगतान तथा उपयोग में लाई जा सकेंगी। का दिया जाना।
3. इस अधिनियम द्वारा हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान की जाने और विनियोग।
उपयोग में लाई जाने के लिए प्राधिकृत राशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के
लिए किया जाएगा, जो मार्च, 2027 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के
सम्बन्ध में अनुसूची में बताए गए हैं।

मार्ग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	मुख्य शीर्ष	राशियां, जो निम्नलिखित से अधिक न हों		जोड़
		राजस्व	विधान सभा द्वारा किए गए अनुदान	संचित निधि पर प्रभारित	
1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
01	विधान सभा				
		2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल	2,62,00,000	...	2,62,00,000
		कुल	2,62,00,000	...	2,62,00,000
03	सामान्य प्रशासन/निर्वाचन				
		2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2,00,00,000	...	2,00,00,000
		2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2,25,00,000	...	2,25,00,000
		कुल	4,25,00,000	...	4,25,00,000
04	राजस्व और आपदा प्रबन्धन/अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/आवकारी एवं कराधान				
		2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	32,83,10,000	...	32,83,10,000
			...	...	...
		कुल	32,83,10,000	...	32,83,10,000

सूची

मुख्य शीर्ष	राशियाँ, जो निम्नलिखित से अधिक न हों		जोड़	जोड़
पूँजीगत	विधान सभा द्वारा किए गए अनुदान	संचित निधि पर प्रभारित		राजस्व और पूँजीगत
7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
	...	...	...	2,62,00,000
	...	...	...	2,62,00,000
	...	...	...	2,00,00,000
	...	...	...	2,25,00,000
	...	...	...	4,25,00,000
	...	...	...	32,83,10,000
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,00,000	...	1,00,000	1,00,000
Total	1,00,000	...	1,00,000	32,84,10,000

1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
05	गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा)/ जेल (कारागार)/ न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/ अभियोजन/ एजीओटी/ कानूनी सेवा प्राधिकरण)				
		2014- न्याय प्रशासन	6,05,00,000	...	6,05,00,000
		2055- पुलिस	316,84,67,000	...	316,84,67,000
		2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	77,00,000	...	77,00,000
			...	...	...
		कुल	323,66,67,000	...	323,66,67,000
06	वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण/ आपूर्ति एवं निपटान/ आयोजना तथा सहाय्यकी (डीईएसए)				
		2049- ब्याज अदायगियाँ	...	2,00,00,000	2,00,00,000
		2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन	3,74,00,000	...	3,74,00,000
		2057- पूर्ति तथा निपटान	78,50,000	...	78,50,000
		2071- पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	50,000	...	50,000
		2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1000,00,00,000	...	1000,00,00,000
		3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं	50,00,000	...	50,00,000
		कुल	1005,03,00,000	2,00,00,000	1007,03,00,000

7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
	...	...	...	6,05,00,000
	...	...	...	316,84,67,000
	...	...	...	77,00,000
4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	341,51,00,000	...	341,51,00,000	341,51,00,000
कुल	341,51,00,000	...	341,51,00,000	665,17,67,000
	...	...	...	2,00,00,000
	...	...	...	3,74,00,000
	...	...	...	78,50,000
	...	...	...	50,000
	...	...	...	1000,00,00,000
	...	...	...	50,00,000
	...	...	...	1007,03,00,000

1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
10	कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/ पशुपालन और खेती विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव				
		2401- फसल कृषि कर्म	61,30,46,000	...	61,30,46,000
		2402- मृदा तथा जल संरक्षण	7,01,00,000	...	7,01,00,000
		2403- पशुपालन	12,13,00,000	...	12,13,00,000
		2405- मछली पालन	4,70,00,000	...	4,70,00,000
		2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी	19,89,00,000	...	19,89,00,000
		2853- अलौह खनन और धातु कर्म उद्योग	1,45,00,000	...	1,45,00,000
			...	...	...
		कुल	106,48,46,000	...	106,48,46,000
11	सहकारिता/खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपरोक्ता मामले				
		2408- खाद्य, भंडारण तथा भंडागार	904,25,00,000	...	904,25,00,000
			...	...	...
		कुल	904,25,00,000	...	904,25,00,000
12	शिक्षा (माध्यमिक/ प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च/ तकनीकी/विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी)/ महिला एवं बाल विकास				
		2202- सामान्य शिक्षा	3,00,000	...	3,00,000
		2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1,50,00,000	...	1,50,00,000

7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
	...	...	...	61,30,46,000
	...	...	...	7,01,00,000
	...	...	...	12,13,00,000
	...	...	...	4,70,00,000
	...	...	...	19,89,00,000
	...	...	...	1,45,00,000
4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	4,00,00,000	...	4,00,00,000	4,00,00,000
कुल	4,00,00,000	...	4,00,00,000	110,48,46,000

	...	...	...	904,25,00,000
4408-खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	200,00,00,000	...	200,00,00,000	200,00,00,000
कुल	200,00,00,000	...	200,00,00,000	1104,25,00,000

...	...	...	3,00,000
...	...	...	1,50,00,000

1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
			...	...	...
			...	...	...
		कुल	1,53,00,000	...	1,53,00,000
13	खेल/विरासत तथा पर्यटन (पुरातत्व/ संग्रहालय/पर्यटन)				
	3452- पर्यटन		10,00,00,000	...	10,00,00,000
	कुल		10,00,00,000	...	10,00,00,000
14	स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/ आयुष/खाद्य एवं औषधि प्रशासन				
	2210- चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य		176,57,00,000	...	176,57,00,000
	कुल		176,57,00,000	...	176,57,00,000
15	श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण/ रोजगार/ युवा मामले)				
	2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास		9,01,43,000	...	9,01,43,000
	कुल		9,01,43,000	...	9,01,43,000
16	सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण/ अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का				

7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	14,00,00,000	...	14,00,00,000	14,00,00,000
6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज	25,00,00,000	...	25,00,00,000	25,00,00,000
कुल	39,00,00,000	...	39,00,00,000	40,53,00,000
	...	...	...	10,00,00,000
	...	...	...	10,00,00,000
	...	...	...	176,57,00,000
	...	...	...	176,57,00,000
	...	...	...	9,01,43,000
	...	...	...	9,01,43,000

1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
	कल्याण एवं अन्तोदय/भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण/ अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अन्तोदय/भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण				
		2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	56,00,000	...	56,00,000
		2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	12,29,50,000	..	12,29,50,000
		कुल	12,85,50,000	...	12,85,50,000
17	लोक निर्माण (गवन व सड़कों)/ परिवहन/नागर विमानन				
		2041- वाहन कर	1,12,00,000	...	1,12,00,000
		2059- लोक निर्माण-कार्य	60,03,00,000	...	60,03,00,000
		2216- आवास	11,02,00,000	..	11,02,00,000
		3054- सड़क तथा सेतु	20,00,00,000	...	20,00,00,000
		3055- सड़क परिवहन	60,91,00,000	...	60,91,00,000
			...	...	...
			...	...	...
			...	...	...
			...	...	...

7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
	...	...	...	56,00,000
	...	...	...	12,29,50,000
	...	...	...	12,85,50,000
	...	...	...	1,12,00,000
	...	...	...	60,03,00,000
	...	...	...	11,02,00,000
	...	...	...	20,00,00,000
	...	...	...	60,91,00,000
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	30,00,00,000	...	30,00,00,000	30,00,00,000
5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	1,00,000	...	1,00,000	1,00,000
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	389,00,00,000	180,00,00,000	569,00,00,000	569,00,00,000
5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	1,00,000	...	1,00,000	1,00,000

1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
			...	...	...
		कुल	153,08,00,000	...	153,08,00,000
19	ऊर्जा विभाग (विद्युत/नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/ उद्योग एवं वाणिज्य/ एमएसएमई/सिंचाई एवं जल संसाधन				
		2705- कमान क्षेत्र विकास	40,00,00,000	...	40,00,00,000
		2801- बिजली	1201,27,00,000	...	1201,27,00,000
		2810- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	7,50,000	...	7,50,000
		2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग	100,00,00,000	...	100,00,00,000
		3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	18,75,000	...	18,75,000
			...	...	...
			...	...	...
		कुल	1341,53,25,000	...	1341,53,25,000
20	नगर तथा ग्राम आयोजना/शहरी सम्पदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/ विकास और पंचायत (ग्रामीण विकास)/ जन स्वास्थ्य अभियान्तिकी				
		2215- जलापूर्ति तथा सफाई	359,66,00,000	...	359,66,00,000
		2217- शहरी विकास	303,06,69,000	...	303,06,69,000

7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
7055-सड़क परिवहन के लिए ऋण	310,08,00,000	...	310,08,00,000	310,08,00,000
कुल	729,10,00,000	180,00,00,000	909,10,00,000	1062,18,00,000
	...	...	...	40,00,00,000
	...	...	...	1201,27,00,000
	...	...	...	7,50,000
	...	...	...	100,00,00,000
	...	...	...	18,75,000
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	100,00,00,000	...	100,00,00,000	100,00,00,000
4851-ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	1,00,000	...	1,00,000	1,00,000
कुल	100,01,00,000	...	100,01,00,000	1441,54,25,000

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
		2505- ग्राम रोजगार	613,81,00,000	...	613,81,00,000
		2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	80,20,00,000	...	80,20,00,000
			...	...	...
			...	...	...
		कुल	1356,73,69,000	...	1356,73,69,000
	कुल जोड़		5440,45,10,000	2,00,00,000	5442,45,10,000

7	8	9	10	11
	₹	₹	₹	₹
	...	...	...	613,81,00,000
	...	...	...	80,20,00,000
4215-जला पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	420,34,00,000	...	420,34,00,000	420,34,00,000
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	20,00,00,000	...	20,00,00,000	20,00,00,000
कुल	440,34,00,000	...	440,34,00,000	1797,07,69,000
	1853,97,00,000	180,00,00,000	2033,97,00,000	7476,42,10,000

नोट:-

क्रम संख्या	मद	(राशि रुपये में)
1	अनुपूरक अनुमान 2026-27 (पहली किस्त)	7476,42,10,000
	निम्नलिखित योजनाओं के तहत उपलब्ध राशि को समायोजित किया जाना है	
2	गांग संख्या-14, मुख्य शीर्ष 2210- विकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य, योजना P-01-14-2210-80-199-97-51-R-V- आयुधान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण (एबी- एचएचपीए) द्वारा कर्मचारियों, पेशनगोगियों और उनके आश्रितों को केशलेस विकित्सा उपचार	299,78,85,000
3	गांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, योजना P-01-19-4701-26-101-99-51-N-V- जल सुरक्षित हरियाणा (विश्व बैंक की सहायता से पूँजीगत कार्यों सहित)	40,00,00,000
	ज्ञापन में दिए गए विवरण के अनुसार विभागों की विभिन्न योजनाओं में उपयोग की गई राशि	
4	शुद्ध अनुपूरक अनुमान 2026-27 (पहली किस्त)	7136,63,25,000

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204(1) तथा 205 के अनुसरण में वित्त वर्ष 2026-27 के खर्च के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुपूरक अनुदानों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित राशियों के विनियोग हेतु उपबन्ध करने के लिए पेश किया जाता है।

नायब सिंह,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :

दिनांक : 31 अगस्त, 2026

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया, भा.प्र.से.,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 31 अगस्त, 2026 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।